कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 3548 /11–सी–FP/UP/Road/141411/2021, लखनऊ, दिनांकः जून 14 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त,
वाराणसी।

विषयः– जनपद–जौनपुर के अंतर्गत एन0एच0 डिविजन–1, पीडब्लयूडी, वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–135ए के चैनेज सं0–34.900 (भदोही) से चैनेज सं0–73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 5280 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/47/2022/एफ0सी0/51, दिनांक 29.04.2022 एवं इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–3107/11–सी–FP/UP/Road/141411/2021, दिनांक 02.05.2022 तथा आपका पत्रांक–3327/29–1, दिनांक 10.06.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10.06.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया:–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–01 के निराकरण के क्रम में कैमूर वन्यजीव विहार का मैनेजमेंट प्लान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0–04 के निराकरण के क्रम में Road side plantation scheme जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित हो संलग्न नहीं है।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं0–06 के निराकरण के क्रम में Component wise breakup of land required and component wise area calculation जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित हो संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण करते हुये भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का संशोधित पूर्ण बिन्दुवार निराकरण तीन प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 3548 /11–सी–FP/UP/Road/141411/2021, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, जौनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0–1, लो0नि0वि0, वाराणसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-665

Scanned with CamScanner

कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
पत्रांक : 4566 / 14–16 जौनपुर : दिनांक जून, 15 , 2022

सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता,
एन.एच. डिविजन–1, पीडब्ल्यूडी,
वाराणसी।

विषयः– जनपद जौनपुर के अर्न्तगत एन.एच.डिविजन–1, पी.डब्ल्यू.डी., वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं–135ए के चैनेज 34.900 (भदोही) से चैनेज 73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 5280 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3548/11–सी दिनांक 14.06.2022।
2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/47/2022/एफ0सी0/51 दिनांक 29.04.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको भी पृष्ठांकित है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, आप द्वारा प्रस्तुत संदर्भित पत्र सं0–2 की आख्या/निराकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ महोदय द्वारा पुनः 3 बिन्दुओं में आपत्ति की गयी है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सभी बिन्दुओं का निराकरण अविलम्ब प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

संख्या– 4566 / समदिनांक।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी महोदय को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीन खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

Scanned with CamScanner